पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Patna Municip ...rporation
Date: 24-02-2026
2026 ...3813

No. / पत्रांक: 3813
दिनांक: 24/02/2026

आदेश

विभागीय पत्रांक 746, दिनांक 21.02.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस-मछली आदि की अवैध दुकानें संचालित हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकानें या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हैं या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही खुले में तथा अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है और मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक स्थलों के निकट हैं। उपरोक्त परिस्थिति में यह निदेश दिया जाता है कि ऐसी दुकानों के लिए उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए और बिना अनुज्ञप्ति की संचालित अवैध दुकानों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 (4) के तहत बंद किया जाए। (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)

अत: उक्त के आलोक में सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम निदेशित है कि :-

1. मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को प्राधिकृत किया जाता है।
2. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम निदेशित है कि मांस-मछली आदि की दुकानों का नये अनुज्ञप्ति हेतु सर्वे करेंगे।
3. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम निदेशित है कि पटना नगर निगम (मांस-मछली आदि की दुकानों) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 के तहत विशेष अभियान चलाकर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के अन्तर्गत अनुसूची-एक में आवेदन तथा अनुसूची-दो में अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।
4. अवैध रूप से बिक्रय करने वालों के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
5. उक्त अभियान के संबंधित दैनिक प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष (मुख्यालय) पटना नगर निगम को उपलब्ध करायेंगे।
6. संबंधित दुकान का Online Digital विवरणी/Record Geo Tag फोटो सहित संकलित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

22/02/26

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक :- ENFO/VI/S/70/30/2020........3813...., दिनांक:- 24/02/2026

प्रतिलिपि :-सभी अपर नगर आयुक्त/सभी उप नगर आयुक्त/प्रभारी पदाधिकारी (नियंत्रण कक्ष)/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/26

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक–11/न०वि०/विविध–47/24– 746

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम, बिहार।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत,
बिहार।

पटना, दिनांक– 21.12.16

विषयः– **नगर निकायों के अधीन मांस–मछली की अवैध दुकानों को बंद करने के संबंध में।**

महाशय,

राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस–मछली आदि की अवैध दुकानें संचालित हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकानें या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हैं या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही खुले में तथा अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है और मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य भीड़–भाड़ वाली सार्वजनिक स्थलों के निकट हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में यह निदेश दिया जाता है कि ऐसी दुकानों के लिए उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए और बिना अनुज्ञप्ति की संचालित अवैध दुकानों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345(4) के तहत बंद किया जाए।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, संकल्प, ज्ञापांक-03/वधशाला-11-02/ 2014-2423, दिनांक: 18.9.14.

विषय: पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की स्वीकृति।

पटना नगर निगम क्षेत्र में अवैज्ञानिक ढंग से जानवरों का वध कर मांस, मछली एवं कुक्कुट का विक्रय किया जाता है, जो उचित नहीं है। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। ऐसे मांस उत्पाद हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकार होते हैं।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 129 (ग) (सहपठित धारा 345 एवं 421) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम द्वारा पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 423 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति हेतु भेजा गया है।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-16.9.2014 के मद सं०-32 के रूप में इस विनियमन पर स्वीकृति प्राप्त है।

4. अत: बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 423 के अंतर्गत पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 (अनुलग्न संलग्न) पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिक्रय) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-345 अन्तर्गत)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-129(ग) (सहपठित धारा 345 एवं 421) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम ने अपने प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक- 31.08.2013 के द्वारा इस विनियम को विनियमित किया है, ताकि मानव खाद्य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयात कर्त्ता के व्यवसाय को नियमित किया जा सके। राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह प्रभावी हो जायेगा।

1. व्यापारी की शर्त.—नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खाद्य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयातकर्त्ता को कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा और न मानव खाद्य के आयातित पशु मांस, मछली या कुक्कुट की बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग करेगा।

2. पशु मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र.—जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय हेतु विनिश्चय किया जायेगा। वह सर्वप्रथम इस विनियम के अनुसूची में उल्लेखित आवेदन पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास में प्रस्तुत करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय में हो तो वह तो इस विनियम के सामाचार पत्र में प्रंकाशित होने के 30 दिनों के अवधि में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन जमा करेगा तथा इसमें असफल होने पर पकड़े जाने पर प्रत्येक बार 2000/- (दो हजार) रुपया अर्थदंड के साथ जब्ती (Seizure) की कार्रवाई की जायगी।

3. प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई.—पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र को अनुज्ञप्ति निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत कार्मिक को सौपेंगें, जो स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मूल आवेदन के साथ पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उनके द्वारा या प्राधिकृत पदाधिकारी को समर्पित करेगा।

4. आवेदन पत्र का निस्तार.—मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अनुज्ञप्ति निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तथा अंतिम निर्णय लेगें। परन्तु आवेदन पत्र रद्द किये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द करने का कारण अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

5. अनुज्ञप्ति का निर्गम.—अनुज्ञप्ति का निर्गम

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस विनियम के अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति पर निगम की मोहर तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

6. अनुज्ञप्ति शुल्क.—अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व आवेदक को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 2000/- (दो हजार) रु० जमा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को पटना नगर निगम द्वारा पावती रसीद दी जायेगी। आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के हो तो उनसे अनुज्ञप्ति शुल्क न लेकर मात्र 20/- (बीस) रुपये आदेशिका शुल्क लिया जायगा।

7. अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना.—अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृति का कारण जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया हो को एक माह के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जायगा।

8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.—इस विनियम के अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदन पत्र ससमय वार्षिक शुल्क रु० 2000/- (दो हजार) के साथ प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जायेगी। विलम्ब की स्थिति में आवेदक को वार्षिक शुल्क के साथ रु० 300/- (तीस सौ) रु० प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना पड़ेगा। किन्तु अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के बाद तीन माह तक ही विलम्ब शुल्क लेकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में तीन माह के बाद अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जायेगा, व्यवसाय परिसर को निगम द्वारा बंद कर दिया जायगा और दंड सहित बकाया वसुली की प्रक्रिया पटना नगर निगम'' कर एवं गैर-कर वसूली एवं संग्रहण विनियम 2013" के प्रावधानों के अध्यधीन की जायगी।

9. अनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेज.—(9.1) कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईश तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा इस आशय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया है।

(9.2) वायुरूद्ध या वायुरूद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या बिक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।

(9.3) अनुज्ञप्ति की शर्तो को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञाप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपति के खतरा के विरूद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कारवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।

(9.4) अनुज्ञप्ति को निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकृत करा लेना होगा।

(9.5) इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरों को साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरूद्ध नहीं हो।

(9.6) वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवशेष, कूड़ा, करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

10. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण.—निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लघंन पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी:-

(i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में,

(ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,

(iii) एक पशु का वध दूसरे के सामने करने की क्रुरता दिखायी गई हो

(iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो

(v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, की धारा 338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यक परिसर बंद कर दिया जाएगा।

(vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचती हो तो उस अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।

11. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन.—अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवाले सभी दर्शकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

12. व्यवसाय परिसर का निरीक्षण.—मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य या विशेष अधिनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तो का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमित्तता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

13. कठिनाईयों का निराकरण.—यदि इस विनियम के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस मामले में इस विनियम के उपबंधों के संगत कठिनाई के निराकरण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

अनुसूची-एक

पटना नगर निगम ... ... आवेदन पत्र संख्या ... ...

पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के अधीन)

आवेदन सं०:-

आवेदक का नाम:-

आवेदक के पिता/पति का नाम:-

व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम (अगर कोई है):-

प्रतिष्ठान का पूरा पता (होल्डिंग, वार्ड, मुहल्ला, पो० एवं थाना के साथ):-

धृति धारक का नाम तथा पता:-

आवेदक का स्थायी पता:-

वैट सं०/पैन सं० (अगर है तो)-

व्यवसायिक परिसर ( ) अपना ( ) किराये का

यदि किराया का है तो निम्न लिखित विवरण दिया जाय:

सम्पत्ति के मालिक का नाम:

आवेदक का फोटो

वर्त्तमान पता:

घोषणा पत्र

मैं ... . यह घोषित करता हूँ कि उपर दी गई सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही है तथा किसी भी गलत सूचना के लिए मैं जिम्मेवार रहूँगा।

किसी भी गलत एवं भ्रामक सूचना के लिए मेरे विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार पटना नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले अभिलेख:-

1. यदि आवश्यक धृति के मालिक है तो सम्पत्ति का भुगतान की रसीद
2. यदि परिसर किराया/पट्टा पर है तो एकरारनामा या किराया का विपत्र
3. यदि सेवा कर/वैट में निबंधित है तो वैट/सेवा कर रिटर्न
4. नवीकरण की दशा में पुरानी अनुज्ञप्ति की छाया प्रति
5. यदि गरीबी रेखा के नीचे है तो प्रमाण-पत्र/ ... ... (यदि छुट का दावा किया गया हो)

पावती रसीद

श्री ... ... जो होल्डींग नं०- ... ... वार्ड नं० ... ... मुहल्ला ... ... थाना ... ... पो० ... ... के निवासी है से ... ... पशु मांस/मछली/कुक्कुट व्यवसाय के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र संख्या- ... ... प्राप्त किया।

प्राप्तिकर्त्ता
पटना नगर निगम

अनुसूची-दो

पटना नगर निगम

पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 346 के अधीन)

आवेदन सं०-

निबंधन संख्या-

अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि-

व्यवसाय का नाम-

अनुज्ञप्ति की अवधि ... ... से ... ... तक

अनुज्ञप्तिधारी का नाम ... ...

अनुज्ञप्तिधारी के पिता/पति का नाम ... ...

अनुज्ञप्तिधारी का पुरा पता ... ...

व्यवसाय परिसर (होल्डिंग, प्लाट, वार्ड, मुहल्ला, थाना एवं पोस्ट के साथ) ... ...

अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि-

भुगतान रसीद नं०-एवं दिनांक- ... ...

यह अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि या नवीनीकरण की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी बशर्ते कि वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया गया है।

अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं बंधेज:-

1. अनुज्ञप्तिधारी को आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुपालन करना होगा।

2. किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति निलंबित मानी जाएगी तथा इस अवधि में परिसर बंद रखा जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईश तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा इस आशय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया है।
4. वायुरूद्ध या वायुरूद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या विक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।
5. अनुज्ञप्ति की शर्तो को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञाप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के खतरा के विरूद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कार्रवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।
6. अनुज्ञप्ति को निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से पूर्व नवीनकृत करा लेना होगा।
7. इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्ति परिसरों को साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरूद्ध नहीं हो।
8. वर्णित किसी भी व्सवसाय का अवशेष, कूड़ा, करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायेगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।
9. **अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण.**–निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर मुख्य नगरपालिका या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दी जायेगी:-
   (i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में,
   (ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,
   (iii) एक पशु का वध दूसरे के सामने करने की क्रूरता दिखायी गई हो।
   (iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो।
   (v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
   (vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यक परिसर बंद कर दिया जाएगा।
   (vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचती हो तो उस अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
10. **अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन.**–अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवालों सभी दर्शकों की दृष्टि आसानी से जा सके।
11. **व्यवसाय परिसर का निरीक्षण.**–मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य या विशेष अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी

अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमितता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी
पटना नगर निगम

●

बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग संकल्प ज्ञापांक 2ब/विविध-17-20/2008-2373, दिनांक 8.8.2014.

विषयः–मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-31.10.2013 के मद संख्या 12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2752 दिनांक-14.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को दिये जाने वाले नियत मासिक भत्ता तथा संकल्प की कंडिका-4 के अंतिम अनुच्छेद में अंकित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को विलोपित करने तथा निर्वाचित पार्षदों को रु० 200.00 प्रतिमाह की दर से बैठक भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 19 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-3217 दिनांक-20.06.2008 (प्रतिलिपि संलग्न-परिशिष्ट-1) द्वारा विभिन्न श्रेणी के नगरपालिकाओं के मुख्य पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों को नियत मासिक भत्ता, निर्वाचित वार्ड पार्षदों को प्रति माह बैठक भत्ता, महिला एवं आरक्षित पदों के विरूद्ध गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पार्षदों को विशेष भत्ता तथा यात्रा भत्ता देने का प्रावधान किया गया।

2. राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उनके देय भत्तों को दुगना करने के अनुरोध के आलोक में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-31.10.2013 के मद् संख्या-12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2752 दिनांक 14.11.2013 (प्रतिलिपि संलग्न-परिशिष्ट-2) द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पूर्व से देय भत्तों को दुगना किया गया परंतु, भूलवश इसमें विभिन्न श्रेणी की नगरपालिकाओं के सभी वार्ड पार्षदों को भी नियत मासिक भत्ता दुगना करने का उल्लेख हो गया। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में इस प्रसंग में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3217 दिनांक 20.6.2008 में वार्ड पार्षदों को नियत मासिक भत्ता देय नहीं था, बल्कि वार्ड पार्षदों को नगर निकाय की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वार्ड पार्षदों को विशेष भत्ता देय था। लेकिन संकल्प संख्या-2752 दिनांक 14.11.2013 में सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों को भी नियत मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है जो पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3217 दिनांक 20.06.2008 के अनुकूल नहीं है।

3. अतः विभागीय संकल्प संख्या 2752 दिनांक 14.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों को दिये जाने वाले नियत मासिक भत्ता तथा उक्त संकल्प की कंडिका 4 के अंतिम अनुच्छेद में अंकित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को विलोपित किया जाता है तथा निर्वाचित पार्षदों को ₹ 200.00 प्रतिमाह बैठक भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 22.07.2014 के मद संख्या 40 के रूप में इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त है।

●